संख्या-1/2023/बी-1-027(1)/दस-2023-एम-39/2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 10 जनवरी, 2023

विषय: केन्द्रीय योजनाओं को राज्य में पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-1206 /दस-2017- एम-39/2016 दिनाँक 10 अगस्त, 2017 द्वारा केन्द्रीय योजनाओं से सम्बन्धित इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सीज एवं नोडल अधिकारियों (स्टेट स्कीम मेनेजर, एजेन्सी एप्रूवर-2, एम.आई.एस. यूजर) को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल को पंजीकृत किये जाने हेतु अधिकारियों को नामित किया गया है। इसी क्रम में श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, वित्त द्वारा ट्रेजरी एडमिन के रूप में केन्द्रीय योजनाओं से राज्य योजनाओं की हेड मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है ।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय योजनाओं से राज्य योजनाओं की हेड मैपिंग के कार्य हेतु श्री आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, वित्त के स्थान पर निदेशक, कोषागार, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ट्रेजरी एडमिन नामित किया जाता है।

3- उक्त के सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विशेष सचिव, वित्त (श्री आलोक दीक्षित) से लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर केन्द्रीय योजनाओं से राज्य योजनाओं की हेड मैपिंग का कार्य सुनिश्चित करायें ।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2023/बी-1-027(1)/दस-2023-एम-39/2023, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2 श्री आशीष कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) , सी.पी.डब्ल्यू.डी. एवं राज्य नोडल अधिकारी, पी.एफ.एम.एस., उत्तर प्रदेश भारत सरकार ।

3 श्री नीरज श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी, पी.एफ.एम.एस., योजना भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।